मूलनिवासी संघ

परिचय

S-52349

प्रकाशक
डी. के. खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट
15-डी /203, कल्पक इस्टेट, ॲन्टॉप हिल,
मुंबई - 37, 022-24016015

मूलनिवासी संघ

परिचय

प्रकाशक
डी. के. खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट
15-डी /203, कल्पक इस्टेट, ॲन्टॉप हिल,
मुंबई - 37, 022-24016015

डी. के. खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट

प्रथम आवृत्ति	: -	अप्रैल, 2017 (3,000 प्रतियां)
द्वितीय आवृत्ति	: -	सितंबर, 2019 (5,000 प्रतियां)
तृतीय आवृत्ति	: -	नवम्बर, 2021 (5,000 प्रतियां)

सहयोग राशि: 10/- रूपये

वितरण
मूलनिवासी संघ, केन्द्रीय कार्यालय
527 (ए), नेहरू कुटि, कबीर बस्ती, मल्कागंज, दिल्ली-110007

मुद्रण
आलोका मीडिया प्राइवेट लिमिटेड,
शॉप नं. 3-4, प्रथम तल, प्रोसेस सभागृह, श्री महालक्ष्मी नगर, न्यू नरसाडा रोड़, नागपूर – 440034

Email ID: mulnivasisangh15@gmail.com
Visit us at: www.mulnivasisangh.org

अनुक्रमणिका

क्रमांक	बिषय	पृष्ट संख्या
01	मूलनिवासी संघ क्या है?	4
02	मूलनिवासी संघ का मिशन	5
03	मूलनिवासी संघ का उद्देश्य	6
04	मूलनिवासी बहुजन समाज की समस्या	8
05	सभी समस्याओं का मूल जड़ - जाति व्यवस्था	11
06	मूलनिवासी पहचान क्या है?	13
07	मूलनिवासी बहुजन पहचान की आवश्यकता क्यों?	16
08	फुले अम्बेडकरी विचारधारा की भूमिका	19
09	मूलनिवासी संघ का दृष्टिकोण	24
10	समस्याओं के समाधान के उपाय	25
11	मूलनिवासी संघ की संरचना एवं कार्य प्रणाली	28
12	हमें मूलनिवासी संघ से क्यों जुड़ना चाहिए	31
13	कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन नहीं	33
14	संचार पता	34

******

मूलनिवासी संघ क्या है?

मूलनिवासी संघ, मूलनिवासी बहुजन समाज अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इससे धर्म परिवर्तित समुदायों का एक राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक संगठन है। जो सन 1993 से पुरे भारत में कार्यरत है। "मूलनिवासी" एक हिंदी शब्द हैं, जिसका अर्थ "Original Inhabitant" या "Indigenous" या "Native" होता है। "संघ" भी एक हिंदी शब्द है, जिसका तात्पर्य "Organisation" है। अतः मूलनिवासी संघ से अभिप्राय भारत के मूलरूप से रहने वालों का संगठन है।

यह मूलनिवासी बहुजनों, जिन्हें संवैधानिक रूप से अनुसुचित जाति (एस.सी.), अनुसुचित जनजाति (एस.टी.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी. सी.) व अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है, को ब्राह्मणवादी दासता जो कि अमानवीय जाति व्यवस्था व पितृसत्ता द्वारा व्यक्त होती है, से मुक्ति दिलाने, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने एवं वर्त्तमान में हो रहे शोषण के विरुद्ध मूलनिवासी समाज के हित में कार्य करती है। यह संगठन बामसेफ की आंदोलनात्मक ऑफशूट विंग है जो कि असमानता पर आधारित विद्यमान ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को बदलकर एक न्यायपूर्ण समाज अर्थात समता स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना के लिए शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति हेतु जनआंदोलन का निर्माण करने के लिए बनाई गई है। औपचारिक रूप से इस संगठन की घोषणा बामसेफ की 10वे राष्ट्रीय अधिवेशन इलाहाबाद (प्रयागराज) में सन् 1993 में किया गया था। इसे 1993 में ही शुरू करने के पीछे के कारणों को जानना बहुत ही जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 को विश्व के मूलनिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की और इसी साल महासभा ने विश्व के मूलनिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाने की घोषणा की, लेकिन तत्कालीन भारतीय सरकार ने इसपर कोई भी कार्य नहीं किया इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संकेत लेकर बामसेफ ने 1993 में मूलनिवासी लोगों को मूलनिवासी पहचान व कलाचार के आधार पर शिक्षित व संगठित करने का निर्णय लिया। यह मूलनिवासी बहुजनों को ब्राह्मणवादी संस्कृति से मुक्त कराकर मूलनिवासी कलाचार व मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए किया गया है।

यह संगठन सोसाइटी अधिनियम के तहत नई दिल्ली से पंजीकृत है एवं पंजीकरण संख्या S-52349 है।

मूलनिवासी संघ का मिशन

मूलनिवासी संघ के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, राष्ट्रनिर्माता डॉ बाबा साहेब आंबेडकर, पेरियार ई० वी० रामासामी नायकर, छत्रपति साहूजी महाराज, जननायक बिरसा मुंडा एवं समस्त मूलनिवासी महापुरुखे है, इसलिए इन महापुरुषो का जो मिशन और लक्ष्य था वही मिशन और लक्ष्य मूलनिवासी संघ का है। अर्थात विषमतामयी ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था को नेस्तनाबूत कर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित मूलनिवासी समाज निर्माण करना। साथ ही बामसेफ के ऑफशूट विंग होने के कारण बामसेफ के दिशा निर्देश पर कार्य करना।

1. मूलनिवासी संघ, एक राष्ट्रीय स्तर का मूलनिवासी बहुजन समाज का एकमात्र संगठन है जो संवैधानिक लक्ष्यों जैसे सभी नागरिकों के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के लक्ष्यों द्वारा भारत में लोकतांत्रिक समाज व व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयासरत है।

2. मूलनिवासी संघ, मूलनिवासी महापुरूखो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, राष्ट्रनिर्माता भारत रत्न डॉ बाबा साहेब अंबेडकर, पेरियार ई० वी० रामासामी नायकर, छत्रपति शाहूजी महाराज, जननायक बिरसा मुंडा, संत कबीर, संत रविदास, गुरू घासीदास, नारायण गुरू, अयोथीदास, संत गाडगे आदि के मुक्तिदायी सामाजिक आन्दोलन को मूलनिवासी समाज के सामने लेकर आने के लिए है।

3. मूलनिवासी संघ, एक सामाजिक व कलचारिक संस्था है जो मूलनिवासी बहुजनों, संवैधानिक अर्थों में भारत में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में चिन्हित किये गये है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों जिसमें इन समूहों के धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, में एकता स्थापित करना ।

4. मूलनिवासी संघ, जाति का उन्मूलन करके वर्ग व धर्म आधारित शोषण व लैंगिक भेदभावों को खत्म करके एक जातिविहीन, वर्गहीन तथा लैंगिक रूप से तटस्थ और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करने को समर्पित हैं।

5. मूलनिवासी संघ, एक मजबुत सत्ता और आत्मनिर्भर संगठन बनाने के लिए व हमारे महापुरूखो के कारवां को आगे ले जाने के लिए मूलनिवासी बहुजनों में प्रतिबध्द, ईमानदार व सक्षम कैडर व नेतृत्व का निर्माण करने के लिए दृढ़निश्चयी है।

6. मूलनिवासी बहुजन समाज में लोकतान्त्रिक चरित्र का निर्माण करना और उसे व्यवहार में उतारना और बरक़रार रखना।

मूलनिवासी संघ के उद्देश्य

मूलनिवासी संघ के उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. मूलनिवासी बहुजनों की मुक्ति के लिए हमारे महापुरुषों के कारवां को आगे लेकर जाना, और फूले-अंबेडकरी विचारधारा की बुनियाद पर एक मानवीय व गौरवमयी राष्ट्र का निर्माण करना है।

2. ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था से पीड़ित बहुसंख्यक जातियों को मूलनिवासी पहचान के साथ जागरूक करना, और जातिव्यवस्था को ख़त्म कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदायों को एक सामूहिक पहचान के तहत एकत्रित करना।

3. एक संगठन होना जो न केवल मूलनिवासी बहुजनों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करे बल्कि उनके वैचारिक शत्रु जैसे ब्राह्मणवाद जो उन समस्याओं को पैदा करने का जिम्मेदार है, पर भी आक्रमण करें।

4. लैंगिक भेदभाव और ब्राह्मणवाद के प्रति महिलाओं की अधीनता के खिलाफ संघर्ष करना और फूले-अंबेडकरी विचारधारा अनुमोदित मूलनिवासी नारीत्व के प्रेरणा स्रोतों को आगे लेकर जाना।

5. सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र शिक्षा, रोजगार, नौकरशाही व उच्च न्यायपालिका आदि में मुलनिवासी बहुजनों का पर्याप्त व वास्ताविक प्रतिनिधत्व के लिए संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के रूप में प्रयास करना।

6. नागरिकों में लोकतंत्र के प्रभावी कार्य व्यवस्था के बारे में जागरूकता पैदा करना और चुनावी प्रक्रिया के पालन लिए उनके प्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाने के लिए जागरूक करना।

7. पंथ-निरपेक्षता व सभी नागरिकों के समान अस्तित्व के संवैधानिक लक्ष्यों की रक्षा करना और ब्राम्हणवादी षड्यंत्रों, जो मूलनिवासी बहुजनों में नफरत, विभाजन, वैर को बढ़ाते हैं, को उजागर कर जड़मूल से खत्म करना।

8. नागरिकों की उनकी सर्वोच्च मानवीय क्षमताओं को हासिल करने की लिए उनमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति व तार्किकता को आगे बढ़ाना।

9. मुलनिवासी बहुजनों को गरीबी, लाचारी, अज्ञानता, वंचना व शक्तिहीनता से बाहर लाना।

10. एक आदर्श सामाजिक संचालक के रूप में शासक जातियों की कुनीतियों, जो संविधान लागू होने के दशकों बाद भी मुलनिवासी बहुजनों में बहुआयामी गरीबी व विकट खाद्य असुरक्षा में परिणित होती हैं, को उजागर करना।

11. एक कुशल सार्वजनिक स्वास्थ देखभाल व्यवस्था प्रदान करने में शासक जातियों के पूर्णाधिकार के खिलाफ और स्वास्थ व हाईजीन के लिए निराशाजनक बजटीय आवंटन और उच्चतम निजीकृत कॉर्पोरेट अस्पतालों, जहां मूलनिवासी बहुजनों का खून चूसने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती, के प्रति पक्षात के खिलाफ संघर्ष करना।

12. उच्च कुशलताओं को प्रदान करके सभी बच्चों के लिए गुणवत्तात्मक, समान, सभी की पहुंच में संभव शिक्षा प्रदान करने के लिए आन्दोलन (Agitation) करना। शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने की मांग करना और शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और व्यवस्था के ब्राम्हणीकरण का विरोध करना।

13. सरकारों की संविधान विरोधी आर्थिक नीतियां जो बिना विकास के वृद्धि, बेरोजगारी की कीमत पर कुछ कॉर्पोरेट घरानों का कल्याण और मूलनिवासी बहुजनों की वंचना में परिणित होती है, का विरोध करना।

14. देश के प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल, जमीन व खनिज आदि को अमीर व्यवसायियों को खैरात में देने और मूलनिवासी बहुजनों को उनकी जीविका से वंचित करने के राज्य की नीतियों का विरोध करना।

15. ग्रामीण युवाओं में एंट्रेप्रेन्योरशिप बढ़ाने में और पर्याप्त कृषि-वाणिज्यिक सुविधाएं प्रदान कराने के लिए राज्य हस्तक्षेप के लिए काम करना ताकि मूलनिवासी बहुजनों को गरीबी एवं बेरोजगारी के जाल से मुक्त कराया जा सके।

मूलनिवासी बहुजन समाज की समस्याएं

यदि हम 21वीं सदी के भारत में मूलनिवासी बहुजन समाज के जीवन स्तर को देखें तो हम पायेंगे कि सभी मूलनिवासी बहुजन के पास समस्याओं का भंडार है, अधिकांशतया सभी एक ही प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं। बहुसंख्यक मूलनिवासी ग्रामीण भारत में है। ग्रामीण भारत में अधिकांश जनसंख्या का ऐसा हिस्सा है जिनकी मासिक आय 5000 रूपये से भी कम है। इनमें से 90 प्रतिशत घर मूलनिवासी बहुजनों के हैं। राष्ट्रीय धन सम्पदा का इस प्रकार केन्द्रीकरण हुआ है की 2017 में अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 73% प्रतिशत सम्पति 01% व्यक्ति के पास है। उसी वर्ष झारखण्ड के सिमडेगा जिले में एक बच्ची भूख से मर जाती है। जहाँ आर्य विदेशी खाते - खाते मर रहा है तो मूलनिवासी समाज खाये बिना मर रहा है।

ओबीसी की जनसंख्या जानबूझकर सरकारी सर्वेक्षणों द्वारा घोषित नहीं किया जाता है ताकि मूलनिवासी बहुजन उनके आर्थिक शोषण के खिलाफ संगठित न हो जायें। ऐसी निम्न आय मूलनिवासी गर्भवती महिलाओं को कुपोषण का शिकार बनाती हैं, जो कि जन्म के समय कम वजन व कुपोषित बच्चों के जन्म में परिणित होता है। कई ऐसी मूलनिवासी महिलाएं बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती हैं, क्योंकि वे अस्पतालों (जो कि आमतौर पर ब्राह्मणों व बनियों द्वारा संचालित होते हैं) की महंगी चिकित्सा सुविधाओं का खर्च नहीं उठा सकती है। जब एक गर्भवती मूलनिवासी महिला सरकारी अस्पताल जाती है, उसकी जाति की वजह से अक्सर उसके साथ भेदभाव दुर्व्यवहार होता है। नवजात शिशु की वृद्धि रुक जाती है क्योंकि असके अभिभावक सख्त गरीबी की वजह से जरूरी पोषक तत्वों वाले भोजन का खर्च नहीं उठा सकते हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल शिक्षा के दौरान अपने स्कूल सहपाठियों अध्यापकों द्वारा उनकी जाति की याद बार-बार दिलाई जाती है। इससे बच्चों में निम्नता की भावना घर कर जाती हैं उनका विश्वास डगमगा जाता है और परिणामतः अपने औसत से भी कम प्रदर्शन कर पाते हैं। इसीलिए वे जल्दी स्कूल भी छोड़ देते हैं और बाल मजदूरी करना शुरु कर देते हैं। जिसके कारण अकुशल श्रमिक के रुप में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यों के लिए कार्य करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि लगभग 10 लाख से 3 करोड के बीच बाल मजदूर हैं और लगभग सभी एससी, एसटी, ओबीसी व मुस्लिम समुदायो / समाज से संबंधित हैं।

अगर कोई बच्चा स्कूल में अपमान और घर में गरीबी के बावजूद उच्चतर माध्यमिक (कक्षा-12) पास कर लेता है और उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाओं के लिए जाते हैं तो यहां पर उन्हें हर कदम पर जातिवाद का सामना करना पड़ता है। जिसमें उन्हें छिपे या खुले तौर तर अपने सर्वोच्चता के स्वाभाविक दावे' को सिखाया जाता है, ऐसा करने वाले लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, इन लोगों के साथ बहुजनों के गरीब बच्चों को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जिसमें ये लोग पिछड़ जाते हैं। आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के कारण मूलनिवासी बहुजनों के विद्यार्थी इन संस्थाओं में जाते हैं, उन्हें हर कदम पर तथाकथित उच्च वर्ग के छात्रों द्वारा अपमानित किया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं हर रोज देश भर में होती रहती

हैं। जिसके कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। कई प्रतिभाशाली छात्रों ने तो आत्महत्या तक कर ली। तथाकथित उच्च जातियों के छात्रों को बेहतर शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है जिन पर करदाताओं का पैसा खर्च होता है, नौकरी के क्षेत्र में बेहतर कुशलता के साथ आते हैं। वे उद्योगों और अकादमियों, सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण नौकरियों को अपने कब्जे में कर लेते है। इन संस्थाओं में कुछ मूलनिवासी बहुजन के विद्यार्थी भी पहुंच जाते हैं लेकिन वे शीर्ष स्तर तक शायद ही पहुँचते होंगे।

हमारे बहुसंख्यक मूलनिवासी विद्यार्थी तथाकथित उच्चवर्गों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में पढ़ते हैं। रोजगार के लिए उनकी दया पर निर्भर हैं क्योंकि उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के बाद सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में कमी और निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ हैं जिससे अधिकांश निजी क्षेत्र की कंपनियां तथाकथित उच्चवर्गियों के हाथों में है। निजी क्षेत्र विशेषतः कुशल व प्रबन्धन से संबंधित नौकरियों में मूलनिवासी व्यक्तियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तनख्वाह के मामले में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसा कि मूलनिवासी विद्यार्थियों के अभिभावक अपने जीवन की कमाई शिक्षा पर खर्च कर चुके होते हैं, वे चाहकर भी अपने पुत्र / पुत्री के लिए कोई व्यवसाय शुरु करने के लिए उनके पास कोई धन शेष ही नहीं बचता है। उसमें से लोग कुछ कम धन के साथ अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। जैसे ही वे व्यवसाय शुरु करते हैं लगभग हर जगह चाहे वह किसी भी प्रकार की कम्पनी को, कच्चा माल आपूर्तिकर्ता जो हर जगह ब्राह्मण, क्षत्रियों और बनियों का कब्जा है। ये लोग बड़ी चालाकी के साथ सिर्फ उनके ही लोगों की मदद करते हैं। इन वजहों से मूलनिवासी बहुजन समाज के युवा जो व्यवसाय में कुछ करना चाहते हैं अक्सर असफल ही होते हैं।

चूंकि हममें से अधिकांश भूमिहीन हैं (सामाजिक-आर्थिक व जातीय जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 30 प्रतिशत ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं और हमारी शारीरिक श्रम पर ही जिंदा है। बाजार में हम सस्ते श्रमिक के रूप में जिंदा हैं और कृषि उत्पादन में सफल है तब भी हम हमारे उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमें हमारे कृषि उत्पादन का न्यूनतम हिस्सा मिलता है और जब यह मध्यम वर्ग के व्यक्ति (फिर से ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनियों) के रूप में उपभोक्ता की थाली में आता है तो वह भी बड़ा हिस्सा होता है। क्यों Food Storage Processing & Transportation Network कृषकों को मदद करने के लिए नहीं बनाया गया है? कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं की ओर से क्यों कोई मददकारी व्यवस्था नहीं है? क्यों कृषि बाजार को अधिक Equitable व Efficient बनाने के लिए अधिक निवेश नहीं है और मूल्य पर सूचना की विषमता खत्म नहीं हो रही है, जिस पर मध्यमवर्गीय व्यक्ति निर्भर करता है। जवाब सीधा-सा है क्योंकि ये सभी पहल मूलनिवासी बहुजन समाज को ब्राह्मण, क्षत्रियों और बनियों की लॉबी से निर्भरता को खत्म करके मूलनिवासी बहुजन समाज को सशक्त करेंगे। इस बीच तथाकथित उच्च वर्गीय लोग पारिवारिक व्यवसाय या कॉर्पोरेट घरानों से उच्च प्रीमियम सैलरी लेते हैं। उनका जातीय नेटवर्क व्यवसाय में आ जाता है। फण्ड और उत्पादन के अन्य कारकों में कोई अन्य व्यवसाय-मालिकों, जो कि आमतौर सवर्ण लोग ही. होते हैं, से मिलता है। इसीलिए उनके बंधुभाव के समर्थन से वे व्यवसाय स्थापित कर लेते हैं और अपने उत्पाद उन उपभोक्ताओं को बेचते हैं जो मुख्यतः जनसंख्या के 85 प्रतिशत से संबंधित है और गरीब

बहुजन समाज से हैं और जिनकी क्रय शक्ति भी कम है। फलतः वे अमीर होते जाते हैं और हम बेचारे उपभोक्ता जो अर्थव्यवस्था के लिए उपभोक्ता का कार्य करते हैं, समृद्ध नहीं होते हैं। यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यह गरीबी जाति व्यवस्था को बनाये रखकर ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा गरीबी को बनाये रखा जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश मूलनिवासियों की यही कहानी है।

इस बीच, ग्रामीण भारत में जातीय अत्याचारों का हिंसक स्वरूप निरंतर जारी है। बलात्कार, हत्या, सामाजिक बहिष्कार आदि की घटनाएं तथा अन्य जातिगत अपराध भारत के हर भाग में प्रतिदिन होते है। हिंसा केवल शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक भी होती है। एक मूलनिवासी व्यक्ति को आज भी अपने विवाह के समय घोड़ी पर बैठने या शिक्षा हासिल करने या चप्पल पहनने या अन्यों के साथ खाना खाने या मूंछें रखने की अनुमति नहीं है। यह उनके आत्म-सम्मान को कुचलने तथा निरंतर दासता में बनाये रखने के लिए होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास व अधिरचना (विशेषतः जल, सफाई, बिजली व परिवहन आदि) मानव विकास की कुंजियां हैं और अब यह एक खुला रहस्य है कि मूलनिवासी लोग एक गुणवत्तापरक जीवन के इन सभी पहलुओं में पिछड़े हैं। एक बार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी हो जाए तो व्यौरा / विश्लेषण बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा। अधिकांश मूलनिवासी लोग निजी अस्पतालों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। राष्ट्रीय दल नीति निर्माण के दौरान कभी भी उपरोक्त बिंदुओं पर ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। मूलनिवासी बहुजन समाज की समस्याओं को समझने व उनके स्थायी समाधान खोजे जाने की जरूरत है। मूलनिवासी संघ वैज्ञानिक पाठ्यक्रम पर आधारित एक समान शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रयासरत है।

सभी समस्यायों का मूल जड़ - जाति व्यवस्था

सैद्धांतिक भूमिका को समझते हुए भारतीय संदर्भ में पहचान को विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। भारतीय समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है वह जाति की पहचान है। बाबासाहब डॉ. अंबेडकर अपनी पुस्तक **'जातिभेद का उच्छेद'** में लिखते हैं कि **'जाति वह डिवाइस (युक्ति) है, जो डिवाइड (बांटने) करने का कार्य करती है।** यदि हम जाति की पहचान का प्रयोग करते हैं, तो यह हमें अन्य जाति से पीड़ित लोगों से अलग कर देती है। यह हमें अल्पसंख्यक बना देती है, क्योंकि भारत में किसी भी जाति की इतनी जनसंख्या नहीं है कि वो अपने दम पर बहुसंख्यक बन जाए। एक दूसरी समस्या इस पहचान के साथ यह है कि यह पहचान हमें हमारे महानायकों एवं महानायिकाओं के द्वारा नहीं दी गयी है। यह पहचान हमें उन लोगों के द्वारा दी गई है जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया और इसका वे लाभ ले रहे। हैं। यही कारण है कि जाति की जो पहचान है हमें अपमानित करती है। यह हमें गर्व का अनुभव नहीं कराती है और हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति में भी सहायक नहीं है। इसीलिए सामाजिक जीवन में कई अवसरों पर हम अपनी जाति को छिपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि निम्न जातियों की पहचान के साथ यह एक 'कलंक' (Stigma) के रूप में जुड़ी हुई है। जबकि तथाकथित उच्च जातियों के साथ जो कि इस व्यवस्था के लाभदायी लोग हैं, जाति की यह पहचान गर्व के साथ जुड़ी हुई है। ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग गर्व के साथ कहते है कि, "मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं"। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने इसको अपने लाभ के लिए बनाई है। जब किसी को कोई चीज चुनना होता है तो वह उसी चीज को चुनता है जिसे वह पसन्द करता है, प्यार करता है और जो उसके लिए लाभदायक हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था उनके हित में नहीं है जो इससे पीड़ित है। जाति की पहचान, जाति की व्यवस्था का उच्छेद अथवा उसका निर्मूलन नहीं कर सकती, जो कार्य बाबासाहब हमारे लिए करना चाहते थे।

दूसरी जो पहचानें हैं वह संवैधानिक पहचानें हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग इनका प्रयोग सामाजिक आंदोलनों में कई लोगों द्वारा किया जाता है। ये हमारी संवैधानिक पहचानें हैं, जिसके अंतर्गत जातियों को एक वर्ग के रूप में संगठित किया गया है। अंत में सभी को एक क्लास के रूप में 'भारत के पिछड़े वर्ग के नागरिक' के तहत रखा गया है, लेकिन इस पहचान में जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों को संगठित करने के लिए जो भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव होना चाहिए उसकी कमी महसूस होती है। ये एक तरह की तटस्थ पहचाने हैं जो न तो अच्छी हैं नही बुरी है। यह सामाजिक या सांस्कृतिक पहचानें नहीं है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिसे हम अपने गौरव के लिए लेना चाहते हैं। इन पहचानों के साथ एक समस्या यह भी है कि यद्यपि एससी, एसटी, ओबीसी की पहचानें हमें भले ही एक छतरी के नीचे ले आती है, पर हमें स्वतः ही आपस में नहीं जोड़ती है। यह हमें अलग-अलग ही रखती है। शासक जातियां इनमें भी कभी-कभी आरक्षण के नामपर बंटवारे का कार्य करती हैं।

उपरोक्त समस्याओं पर यदि हम चिंतन करते है तो पाते है की आर्यों ने भारत में आक्रमण कर मूलनिवासी को गुलाम बनाया फिर 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर ब्राह्मण साम्राज्य की

स्थापन किया तत्पश्चात मनुस्मृति लिखवाकर मूलनिवासी समाज को जाति में बाटा और फिर उसे पूर्ण रूप से उसे मानने के लिए धार्मिक सामाजिक आदेश निकला। जिस कारण मूलनिवासी समाज तीन वर्गों में विभक्त हो गया।

1) सछूत अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग

2) अछूत अर्थात अनुसूचित जाति

3) आदिवासी अर्थात अनुसूचित जनजाति

फिर जाति व्यवस्था का निर्माण किया और सारे सम्पति छीन कर आर्यों ने अपने पास रखा और मूलनिवासी समाज को पंगु बना दिया (विस्तार से समझने के लिए बाबा साहेब द्वारा लिखित "क्रांति और प्रतिक्रांति" का भाग "ब्राह्मणवाद का विजय" पढ़ सकते है) दूसरा जाति को प्रगाढ़ बनाने के लिए मूलनिवासियों में बेटी रोटी के सम्बन्ध रखने में पाबन्दी लगा दी।

वर्तमान में आप देख रहे है की मूलनिवासी समाज के विरुद्ध हो रहे अत्याचार, शोषण सभी जाति व्यवस्था के कारण ही है। किसी भी स्वर्ण या आर्य ब्राह्मण का ना तो शोषण हो रह है और ना ही अत्याचार, यह सब जाति के कारण ही हो रहा है।

“मूलनिवासी” पहचान क्या है?

पहचान का सम्बन्ध कोई व्यक्ति कौन है? क्या है? और किस समूह, से है? यद्यपि पहचान व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी । पहचान हमेशा प्रासंगिक होती है। यह विशेष परिस्थितियों में प्रकट भी हो सकती है या निर्मित की जा सकती है। सामाजीकरण हमेशा निर्मित की प्रक्रिया को चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोगों की अपनी अलग-अलग पहचान हो सकती है और वे विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार और उद्देश्य के तहत अपनी विभिन्न पहचान को प्रकट कर सकते हैं। पहचान के दो आयाम होते हैं एक सामान्यता और दूसरा विशिष्टतया। सामान्यतया यह जो आयाम है यह एक समान पहचान के लोगों को चिन्हित करने में मदद करती है। दूसरा जो आयाम है यह पहचान की विशिष्टता की ओर इंगित करती है। किसी दूसरे आदमी या समूह की यह पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो पहचान है वह विशिष्ट है। यह हमें दूसरों से अलग करती है। पहचान की एक दूसरी विशेषता भी होती है। इसके दो स्वरूप होते हैं। पहले रूप में यह है कि किसी व्यक्ति या समूह, अपने आपको किस तरह से परिभाषित किया है और दूसरा रूप उस व्यक्ति या समूह के बारे में समाज ने क्या परिभाषित किया है? एक व्यक्ति या समूह दोनों ही पहचान को अपने साथ लेकर चलते है। तब यह प्रश्न पैदा होता है कि सामाजिक पहचान क्या है? सामाजिक पहचान किसी व्यक्ति को जिस समाज के साथ वह जुड़ा होता है के एक निश्चित मानदंडों, मूल्यों, नियमों और सिद्धांतों के साथ संबंधित कर देता है।

इससे पूर्व में हमारी जो भी चर्चा हुई है, वह हमें इस मुद्दे की ओर ले जाती है। कि हम एक दूसरी पहचान के बारे में सोचे ऐसी पहचान जो सभी जाति-व्यवस्था से पीड़ित 85% बहुजनों के अनुकूल हो। आर्यों ने जो हमें जाति और वर्ण की घृणित पहचान दी है उससे पहले हमारी क्या पहचान थी? जो पुरातात्विक, जेनेटिक, और साहित्यिक सुबूत हैं वो हमें ये बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण से पहले हम लोग इस देश के मूलनिवासी थे। हमारे पुरखों ने महान सिंधु घाटी सभ्यता की निर्मिती की थी। हम यहां के मूलनिवासी थे, जिन्हें अयोथीदास एवं पेरियार रामासामी ने आदि द्रविड़ और द्रविड कहा, बाबासाहब डॉ. अंबेडकर ने नाग और धरती पुत्र कहा। उन्होंने अपने साहित्यि में इस बात का उल्लेख किया कि कैसे नाग और आर्यों के बीच युद्ध हुए और आर्यों ने किस तरह से हमारे संस्कृति को नष्ट किया। तथागत बुद्ध ने 'बहुजन' संकल्पना का प्रयोग किया। उन्होंने “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” की संकल्पना दी। तथागत बुद्ध इस बात को जानते थे कि हम बहुसंख्य लोग हैं लेकिन खुश और समृद्ध नहीं है। इसीलिए हम हमारी खुशी और समृद्धि की बात करते हैं। अल्पसंख्यक लोग तो खुश और समृद्ध ही हैं। आधुनिक काल में राष्ट्रपिता फूले ने कहा की सेठ जी भट जी आर्य विदेशी है और शूद्र अतिशूद्र इस देश के मूलनिवासी । जाति से पीड़ितों के लिए शूद्र और अतिशूद्र शब्दावली का प्रयोग किया। उन्होंने सभी बहुजनों को जाति को खत्म करने एवं ब्राह्मणवाद को जड़मूल से उखाड़ने के लिए संगठित होने का आह्वान किया। डॉ. बाबासाहब अंबेडकर ने सभी जाति से पीडितों को इकट्ठा होने का आह्वान किया था। दिनांक 25 अप्रैल, 1948 को लखनऊ में दिये गये भाषण में उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि “यदि एससी और ओबीसी के लोग इकट्ठा आ जाएं तो ब्राह्मणवाद को आसानी से पराजित किया जा सकता है। और 1956 में कहा की “जिस दिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य

पिछड़ा वर्ग एक पहचान के तहत इकठा हो गए उस दिन ब्राह्मण आपकी जुते के फीते खोलने में गर्व महसूस करेंगे।“

बामसेफ निर्माताओं ने हमारे महानायकों एवं महानायिकाओं के आंदोलन से सीख लेकर 'मूलनिवासी बहुजन' पहचान को स्थापित करने का निर्णय लिया। 'बहुजन' यह शब्द तथागत बुद्ध ने दिया और राष्ट्रपिता फूले ने हमें यह बताया कि हम लोग इस देश में मूलनिवासी हैं। ये चीज हमें हमारे सामाजिक और राजनैतिक शक्ति के लिए विश्वास प्रदान करती हैं। यह विचार हमें यह भी बताती है कि किस प्रकार हम बहुसंख्यक होते हुए भी हम गरीब, शक्तिहीन और पिछड़े हैं। अपने सभी कार्यों में उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि आर्य ब्राह्मण ईरान से भारत में आये थे, शूद्र एवं अतिशूद्र इस देश के मूलनिवासी लोग हैं। इस शब्द 'मूलनिवासी' से हमें यह पता चलता है कि इस देश में कोई विदेशी भी है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि आर्यों ने भारत पर हमला किया था। ये ही केवल अकेले लोग नहीं थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, बल्कि अन्य लोग भी थे जैसे पारसी, यूनानी, ईरानी, हूण, कुषाण, अरबी, पुर्तगाली एवं ब्रिटिश, ये सभी भारत आये और यहां पर मूलनिवासीयों के साथ रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ आर्यों ने अपनी चर्तुवर्ण की व्यवस्था को मूलनिवासीयों के ऊपर थोपा। उन्होंने आगे चलकर मनुस्मृति के काल में हमें भय के साथ जाति और उपजातियों में बांटा और अमानवीय क्रमिक असमानता की व्यवस्था को लागू किया। उन्होंने हमारी मूल पहचान को नष्ट कर दिया और उन्होंने हमें अपमानित करने वाली पहचानें जैसे दास, दस्यु, शूद्र, अछूत, चांडाल दे दी। बाबासाहब डॉ. अंबेडकर ने अपनी पुस्तक “शूद्र कौन थे" में इस बात को लिखा कि किस तरह से आर्यों की जो त्रिवर्णीय व्यवस्था थी, बाद में चतुर्थ में बदली। उन्होंने इस पुस्तक में सिद्ध किया है कि ये जो शूद्र थे, आर्य ही थे और आर्य ब्राह्मणों और आर्य क्षत्रियों के संघर्ष में जो आर्य क्षत्रिय पराजित हुए थे, उन्हें ही उन्होंने शूद्र घोषित कर दिया। इनके बीच जो युद्ध हुए उनमें से ज्यादातर आर्यों के भारत में आक्रमण से पहले भारत के बाहर ही हुए (आज के ईरान एवं मध्य एशिया में) भारत में आक्रमण के साथ ये लोग अपने साथ चर्तुवर्ण की व्यवस्था को लेकर भी आये। इसके बाद इन्होंने यहां के मूलनिवासी बहुजनों को शूद्र कहना प्रारंभ कर दिया।

हमारी मूल पहचान नागाओं की थी। अतः हम नागवंशी थे। यह हमारी 'मूलनिवासी पहचान थी जो आर्य ब्राह्मणों द्वारा नष्ट कर दी गयी थी। “अछूत" नामक अपनी पुस्तक में डॉ. बाबासाहब अंबेडकर बताते हैं कि कैसे तथाकथित “अछूतों” का पांचवां वर्ग बनाया गया। वह कहते हैं कि बुद्ध के समय में, ब्राह्मणवाद के खिलाफ सामाजिक क्रांति के कारण, मूलनिवासी बुद्धिस्ट बन गये थे। गौतम बुद्ध खुद मूलनिवासी थे और शाक्य कुल / गोत्र (आज भी यह कुल / गोत्र उ.प्र. एवं बिहार में देखा जाता है जो कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित है) थे। बुद्ध मूलनिवासियों को संगठित करने में सफल हुए क्योंकि उस समय केवल एक समूह शूद्र था। जिससे ब्राह्मण यह मानने को मजबूर हुए कि बुद्ध के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति संभव थी क्योंकि सभी मूलनिवासी एक पहचान से संगठित किये गये थे। अतः कठोर जाति व्यवस्था को पुर्नस्थापित करने के लिए, विशेषकर पुष्यमित्र शुंग द्वारा किये गये प्रतिक्रांति के बाद, ब्राह्मणों ने एक और विद्रोह की संभावना को टालने के लिए मूलनिवासियों को बांटना शुरू कर दिया।

आर्य ब्राह्मणों ने शूद्रों को अपनी भयानक हिंसा व आतंक के अधीन कर दिया। उन्होंने सामाजिक बदलाव का वाहक/स्थल बन चुके बुद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था को नियमबद्ध करने तथा जाति व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने हेतु मनुस्मृति लिखी। जिन्होंने ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के समक्ष समर्पण कर दिया, उन्हें शूद्र बने रहने दिया गया, किन्तु जो गांवों से बाहर रहते थे, जिन्होंने समर्पण कर दिया उन्हें शूद्र बने रहने दिया गया, किन्तु जो गांवों से बाहर रहते थे, उन्होंने समर्पण करने से इन्कार कर दिया और ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, और उनको ही अतिशूद्र या अछूत घोषित करके दण्डित किया गया। जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समक्ष समर्पण नहीं किया और जंगलों में चले गए, किन्तु अपनी मूल पहचान को नहीं छोड़ा, वे आदिवासी हैं। अतः ये सभी आर्य ब्राह्मणों के आक्रमक के समय एक ही थे। बाद के समय में इन समूहों में से काफी लोगों में ब्राह्मणवादियों द्वारा किये जाने वाले अमानवीय व्यवहार से बचने के लिए इस्लाम, ईसाई, सिक्ख, और अभी हाल में मानव तावादी बुद्ध धर्म को अंगीकार कर किया। आज ये सभी समूह 'धर्म परिवर्तित मूलनिवासी' कहे जाते हैं। अतः मूलनिवासी जो एक बिंदु पर संगठित किये गये, तीन सामाजिक समूहों, जो शूद्र (ओबीसी), एससी (अछूत), एसटी (आदिवासी) और असंख्य धार्मिक समूहों के साथ संबंधित किये जा सकते हैं, में बांट दिए गए। अतः हम पाते हैं कि जैसे-जैसे हम अपनी मूल पहचान व संस्कृति को समझने के लिए इतिहास में जाते हैं, विभाजन नहीं बल्कि एकता उभरती है।

इसीलिए, हमें आर्यों के खिलाफ वैचारिक युद्ध जीतने के लिए हमें हमारी मूल पहचान को उभारना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम हमारी पहचान नहीं जानते तो हम आसानी से षडयंत्रों के शिकार हो जाते हैं। मूलनिवासी की पहचान एससी, एसटी, ओबीसी व धर्मपरिवर्तित मूलनिवासियों में विभाजित इस देश के जनसाधारण में एकता व भाईचारे की भावना पैदा करती है और हमारे गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए शत्रु से लड़ती है। यह हमारे लोगों को स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व व न्याय के सिद्धांतों, जो अतीत में मूलनिवासी बहुजन समाज के सिद्धांत रहे हैं, जो हमारे समाज का पुर्ननिर्माण करने का आत्मविश्वास व गर्व देती है। यह देश के अंदर के शत्रुओं जो हमारे पतन के लिए जिम्मेदार हैं उनको स्पष्टतः चिन्हित करती है और इस तथ्य के बारे में हमें निरंतर सूचित करती रहती है। यह हमें हमारे शत्रुओं द्वारा हमारे आंदोलन को कमजोर करने एवं नुकसान न पहुंचा सकने के लिए कोई भी रास्ता न छोड़ने के लिए हमेशा सतर्क करती है। हमारे शत्रु हमारे बीच कोई भ्रम पैदा न कर सके यह इसके लिए हमें सतर्क करती है। मूलनिवासी बहुजन की अवधारणा 15 प्रतिशत शोषकों व 85 प्रतिशत शोषितों को स्पष्टतः विभाजित करती है। यह ब्राह्मणवाद को काउन्टर करती है और जाति व्यवस्था जिसने हमें हजारों वर्षों से गुलाम बना रखा है, के उन्मूलन का प्रयास करती है।

मूलनिवासी बहुजन पहचान की आवश्यकता क्यों?

अनुसूचित जाति को एक और पहचान दी जो कि काफी प्रचलन में है और अनुसूचित जाति के लिए प्रयोग की जाती है वह है दलित की पहचान। इस पहचान का उपयोग प्रथमतः बाबू जगजीवन राम ने किया था, जो कि काँग्रेस में शामिल थे। हमारी जानकारी के अनुसार बाबासाहब ने कभी भी अनुसूचित जाति के लिए दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अधिकांशतया संवैधानिक शब्दावली का ही प्रयोग किया। यह बात रिकार्ड में दर्ज है कि बाबासाहब डॉ. अंबेडकर ने अपनी पुस्तक **'काँग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया?'** के प्रस्तावना में यह लिखा है कि उस समय की ब्रिटिश सरकार ने जब गोलमेज परिषद के दौरान अछूतों को जो नाम "डिप्रेस्ड क्लास" दिया था, उसका उन्होंने और राव बहादुर श्रीनिवासन ने इस नामकरण का विरोध यह कहते हुए कहा था कि अपमानजनक एवं तिरस्कारपूर्ण है। लेकिन 'दलित' की पहचान 'दलित पैथंर्स' आंदोलन के दौरान बहुत ही लोकप्रिय हो गया, बाद में ब्राह्मण-बनिया मीडिया के द्वारा और शिक्षा संस्थाओं में भी इसका बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया गया। हममें से कई लोग उनके इस जाल में फंस गये और इस पहचान को अपना लिया, जो पहचान हमारे स्वतंत्रता के ही खिलाफ में है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। यह हमें गर्व का भाव नहीं देती है। न तो यह सामाजिक पहचान है न ही सांस्कृतिक पहचान है। यह हमें केवल शोषित और निम्न जाति और बिखरे हुए समाज के रूप में ही मान्य करती है। यह पहचान यह भी चिन्हित नहीं करती है कि कौन शोषक है? हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से भी नहीं जोड़ती है, न ही भविष्य के लिए किसी प्रकार की आकांक्षाओं को जन्म देती हैं। इस पहचान के साथ एक और समस्या यह भी है कि 'दलित' यह शब्द भारत में रहने वाले सभी पीड़ित एवं शोषितों के लिए नहीं कहा जाता है बल्कि बड़ी चालाकी के साथ इसका प्रयोग केवल अनुसूचित जातियों के लिए किया जाता है। इसे कारण जो गैर दलित लोग जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं, उनके साथ एकात्मता की एवं सामूहिकता की भावना नहीं बन पाती है। इसलिए 'दलित' की जो यह पहचान है हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, जिसमें हम सभी जाति व्यवस्था से पीड़ित 85 प्रतिशत लोगों को संगठित करना चाहते हैं ताकि भारत में सामाजिक क्रांति की जा सके।

आदिवासी पहचान से हम भी हम अल्पसंख्यक बनते है। ऐसे तो आदिवासी में जाति व्यवस्था नहीं थी वहां टोटम की प्रथा है परन्तु ब्राह्मणो ने वनवासी कल्याण केंद्र, एकलब्य विद्यालय, सरना सनातन इत्यादि के माध्यम से जाति व्यवस्था स्थापित कर रही है और हिंदुत्वीकरण कर रही है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ओबीसी में भी जातियों को और प्रगाढ़ किया जा रहा है और हिंदुत्वीकरण किया जा रहा है | देश में 52% होने के बावजूद भी शासन सत्ता में कही भी नहीं है और अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

भारत में जो अन्य पहचानें हैं, जिन्हें लोग अपनाते हैं। वे धार्मिक पहचानें हैं, जैसे हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई इत्यादि। हिन्दू धर्म में जाति व्यवस्था से पीड़ित होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने विभिन्न धर्मों को अपनाया और इसी धर्म के पहचान को अंगीकार किया। धार्मिक क्षेत्र में इन पहचानों का उपयोग और प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम धार्मिक लाइन के आधार पर विभाजित करती है और अल्पसंख्यक होने का एहसास दिलाती है। हमें यह

जानना जरूरी है कि जब हम सामाजिक और राजनैतिक उद्देश्यों के लिए अपनाते हैं तो यह हमें धार्मिक लाइन के आधार पर विभाजित करती हैं। और अल्पसंख्यक होने का एहसास दिलाती है। हमें यह जानना जरूरी है कि जब हम सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में धार्मिक आधार संगठित करते हैं तो यह धर्मिक ध्रुवीकरण की निर्मिती करती हैं और यह ब्राह्मणवादी ताकतो की उनके सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक हितों के लिए हमारे शोषण करने में मदद ही करते है। पिछले कुछ समय पहले, ऐसे ध्रुवीकरण जो कि हिंदुओं और मुसलमानों एवं हिंदुओं और ईसाईयों के बीच हुए जिनके कारण मुस्लिमों एवं ईसाईयों का काफी जान एवं माल का नुकसान हुआ। जिसके फलस्वरूप तथाकथित उच्च जाति के हिंदुओं को आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ मिला।

फलतः, ब्राह्मणवादी ताकर्ते भारत में व बाहर हिंदू पहचान को ध्रुवीकृत करने की कोशिश करती हैं और "गर्व से कहो कि हम हिंदू है" जैसे नारों का निर्माण करती हैं। हालांकि, 1911 में जाति-आधारित जनगणना से पहले ऐसा नहीं था। उस जनगणना तक ब्राह्मणवादी ताकते आर्यन पहचान का प्रयोग करती थी और उसमें गर्व महसूस करती थीं। वे यूरोपियनों को बोलते थे कि वे भी सर्वोच्च नस्ल आर्य से संबंद्ध रखते हैं। (साक्ष्यों के लिए बामसेफ द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तिका **"मूलनिवासी बहुजन सिद्धांत, संकल्पना और व्यवहार"** पढ़े) हालांकि, एक बार जब जातिगत जनगणना ने आंकड़े सार्वजनिक किये कि आर्य (ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य) अल्पसंख्यक (जनसंख्या का 15 %) है, उन्होंने महसूस किया कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आने पर आर्य सत्ता से बाहर कर दिये जायेंगे। इसीलिए उन्होंने हिंदू पहचान को प्रयोग करना तथा लोकप्रिय बनाना शुरू कर किया। अतः हिंदू की पहचान ने उन्हें अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक के रूप में प्रस्तुत किया। इस पहचान ने उन्हें न केवल सत्ता में बनाये रखा बल्कि उन्हें समृद्ध भी बनाया। इसके विपरित, एससी/एसटी/ओबीसी जिन्होंने अज्ञानता के कारण हिंदू पहचान गर्व के साथ अपनाई है, वे शक्तिहीन और गरीब बने रहे हैं। यह पहचान की शक्ति है। यहां यह वर्णन करना बहुत जरूरी है कि जब आर्यों ने यह पहचान इस्तेमाल करना शुरू किया तब 'हिंदू' शब्द का प्रयोग गर्व के साथ नहीं किया जाता था। यह शब्द वस्तुतः एक फ़ारसी शब्द है, जिसका अर्थ “काला चोर या काफिर” हुआ होता है। और यह शब्द उनको दिया गया जिन्हें मुसलमानों ने हराया था। यह शब्द हिंदुओं के किसी भी धर्मग्रन्थ में नहीं है। डॉ. बाबासाहेब ने 'जातियो का उच्छेदन' में हिंदू पहचान की समस्याओं के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात समझने कि यह है कि हिन्दू समाज एक मिथ है। 'हिंदू' यह नाम अपने आप में एक विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों द्वारा यहां पर रहने वाले लोगों को दिया गया था ताकि उनकी पहचान को अलग किया जा सके। हिन्दू नाम का कोई भी समाज कहीं पर भी अस्तित्व में नहीं है। यह केवल जातियों का एकसंग्रह है। हर जाति अपने ही जाति के बारे में चेतन है। जातियों का एकसंघ भी नहीं है। जातियों के बीच कभी भी इस तरह की भावना नहीं आती कि हम एक है, यह भावना सिर्फ उस समय आती है जब हिंदू-मुस्लिम दंगे होते हैं। और समय में हर जाति दूसरी जाति के साथ अलगाव की भावना रखती हैं। बाबासाहब डॉ. अंबेडकर ने एससी/एसटी/ओबीसी के उन सभी लोगों को जागृत होने के लिए कहा है जो हिंदूधर्म के आत्मघाती जाल में फुसे हुए हैं जब हम अपने आपको उनसे अलग नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण दोस्त एवं दुश्मन की पहचान नहीं हो पाती है। बिना इसके हम किस तरह से सामाजिक बदलाव के लिए ईमानदार प्रयास कर पायेंगे ?

अतः हमें जातीय पहचान हटा कर एक सामूहिक पहचान के तहत इकठा होने की सख्त जरुरत है क्योंकि हम 85% हेने के बावजूद शासन सत्ता में नहीं है इसलिए हमारा शासन बढ़ता जा रहा है। बाबा साहेब ने 1956 में कहा की "जिस दिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एक पहचान के तहत इकठा हो गए उस दिन ब्राह्मण आपकी जुते के फीते खोलने में गर्व महसूस करेंगे।" इसलिए आज हमें जरुरत है एक सामूहिक पहचान की, जो हमें गर्व महसूस करता हो, जो हमारे महापुरुषो द्वारा दिया गया हो, जो हमें शाषक बनाने की क्षमता रखता हो, वह है - मूलनिवासी बहुजन।

फूले- अंबेडकरी विचारधारा की भूमिका

Ideology शब्द सर्वप्रथम 1796 में Antoine Destutt de Tracy ने किया। यह शब्द 'Idea / विचार' और 'logy' (जिसका अर्थ अध्ययन करना, विचार या विमर्श होता है) से मिलकर बना है। अतः विचारधारा किसी विशेष सामाजिक वर्ग या समूह के विचारों का संग्रह है। ये विचार कोई मूल्य, सिद्धांत, आदर्श, तर्क, मिथक, मत या प्रतीक भी हो सकते हैं। विचारधारा (हमें) बताती है कि समाज को कैसे काम करना चाहिए और यह समाज को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक खाका (Blue Print) भी प्रदान करती है। विचारधारा हमें मार्गदर्शन भी देती है, तथा लोगों को उनके आसपास की गतिविधियों को समझने में मदद करती है। यह लोगों को उनका इतिहास और वर्तमान की व्याख्या करने तथा भविष्य की योजना बनाने में या समझने में मदद करती है। विचारधारा के विभिन्न आयाम है। यह समाज या संगठन की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करती है और फिर इन लक्ष्यों को हासिल करने में सर्वाधिक उपयुक्त विधि निर्धारित करने में मदद करती है।

विचारधारा की इस संकल्पनात्मक समझ से हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज के लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। विचारधारा अपने आप में निष्पक्ष है- यह न तो अच्छी है और न ही बुरी। यह विचारधारा लक्ष्यों और इसकी बनाई विधियों के प्रकार हैं जो कि यह किसके हितों की पूर्ति करते हैं और किसको प्रभावित करते हैं, आदि के आधार पर सही या गलत ठहराए जा सकते हैं। इस संकल्पनात्मक समझ के साथ हम यह कह सकते हैं कि लगभग सभी दमनकारी सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ वैचारिक आधारों पर निर्मित होती हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करती हैं। भारतीय दमनकारी सामाजिक व्यवस्था जो कि जाति व पितृसत्ता जैसे शब्दों में स्पष्टतः सामने आती है, ब्राह्मणवादी विचारधारा पर आधारित है, और बहुसंख्यक भारतीय जनसंख्या, जो संवैधानिक रूप से अनुसुचित जाति (एस.सी.), अनुसुचित जनजाति (एस.टी.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी. सी.) और धार्मिक अल्पसंख्यक कहे गये हैं, के लिए अभिशाप है। यह विचारधारा एससी/एसटी/ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कैसे ढेरों समस्याओं का कारण है, 'मूलनिवासी बहुजन समाज की समस्याए नामक भाग में इसकी विस्तृत चर्चा की गयी है ।

हालांकि, खुद को गर्व से आर्य कहलवाने वाले लोगों का एक सामाजिक वर्ग है और तीन वर्गों जैसे- ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में वर्गीकृत है, जिसका नेतृत्व ब्राह्मण करता है। इन लोगों ने इस ब्राह्मणवादी विचारधारा को विकसित किया, जिसे हिंदू 'धर्म' के नाम पर प्रचारित किया और इससे लाभान्वित हुए। डॉ. बाबासाहब अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद के छः मुख्य सिद्धांत बताये : -

1. विभिन्न वर्गों के बीच श्रेणीबद्ध विषमता।
2. शूद्रों व अछूतों को पूर्णतः निरस्त्र करना।
3. शूद्रों व अछूतों के लिए शिक्षा के अधिकार का पूर्णतः खंडन।
4. शूद्रों व अछूतों द्वारा सत्ता और शक्ति के पद हासिल करने पर प्रतिबंध

5. सम्पत्ति प्राप्त करने से शूद्रों व अछूतों पर प्रतिबन्ध लगाना।
6. महिलाओं को पूर्णतः अधीनस्थ बनाना और उनका दमन करना।

डॉ. बाबासाहब अंबेडकर द्वारा ब्राह्मणवाद के लिए उपर्युक्त विश्लेषण से, यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणवाद विचारधारा में जाति और पितृसत्ता के पीड़ितों की इस सामाजिक दासता से मुक्ति की कोई संभावना शेष नहीं बची है। यदि हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, और जाति व पितृसत्ता के पीड़ितों की वर्तमान और भविष्य की स्थिति में सुधार लाना चाहते है, तो हमें एक वैकल्पिक विचारधारा, जो न केवल ब्राह्मणवाद की विरोधी हो बल्कि इसे जड़ से खत्म भी कर सके ताकि भविष्य की आने वाली पीढ़िया भी इस दासता से मुक्त की जा सके, को अपनाना और विकसित करना होगा।

क्या समाज में प्रचलित विचारधारा में ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकने की क्षमता है? अब तक हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ब्राह्मणवादी विचारधारा (जो हिंदुत्व के रूप में गलत तरीके से ब्रांड की गयी है) हमें मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि इसी विचारधारा ने हमें गुलाम बनाया है, सामान्य समझ के अनुसार, हमें दास बनाने वाली विचारधारा हमें आजाद नहीं कर सकती, अतः ब्राह्मणवाद को पूर्णतः नष्ट करना अनिवार्य है।

भारतीय समाज में एक अन्य विचार प्रचलित है जिसे गांधी-नेहरूवियन विचारधारा कहा जा सकता है। यह विचारधारा मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और 1985 में कांग्रेस के आरम्भ से बाद तक के कई कांग्रेसी नेताओं के विचारों का संग्रह है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ ब्राह्मणवाद की विचारधारा हैं, जो भारतीय समाज के द्वारा विरोध को समझा बुझा कर/ लालच देकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाये रखने का कार्य करती है। डॉ. बाबासाहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक "**कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया**" में इस विचारधारा की बहुत ही व्यवस्थित और व्यापक रूप से समीक्षा / आलोचना की है।

कांग्रेस पार्टी, ब्राह्मणों (कांग्रेस के प्रथम सत्र, जो कि कांग्रेस के गठन में हुआ, में 85 प्रतिनिधियों में से 83 ब्राह्मण थे) ने अपने फायदे के लिए स्थापित की थी। इसलिए हमारे महापुरूष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, अयोथी दास, नारायण गुरू, संत गाडगे, पेरियार या डॉ. बाबासाहब अंबेडकर आदि कोई भी इस पार्टी से नहीं जुड़े। वास्तव में इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। संविधान लागू होने के बाद से पिछले लगभग सात दशक इस बात का गवाह है कि गांधी-नेहरूवियन विचारधारा के तहत राज्यों और केंद्र में शासन करने वाली सरकारों ने हमारी मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि हमारे खर्ची और वोट के बलबुते आर्य ब्राह्मणो के शासक वर्ग को ही फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस की सामाजिक व सांस्कृतिक विचारधारा ब्राह्मणवाद से भिन्न नहीं है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह विचारधारा हमारे किसी काम की नहीं है, बल्कि हमारे अनुभव बताते हैं कि हमारे लिए यह हानीकारक ही रही है।

एक और विचारधारा, जो ब्राह्मणवाद की वैकल्पिक या काउन्टर विचारधारा के रूप में पेश की जाती है, मार्क्सवादी विचारधारा है जो कि विभिन्न संकल्पनात्मक वर्गों जैसे वामपंथी विचारधारा, साम्यवाद,

समाजवाद, लेनिनवाद, माओवाद इत्यादि नामों से भी लोकप्रिय है। यह विचारधारा प्राथमिक तौर पर सामाजिक समस्याओं का आर्थिक विश्लेषण करती है, और वर्ग-विषमता से मुक्ति प्रदान करने का दावा करती है। इसके कुछ अनुयायी लोकतंत्र में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों में विश्वास नहीं करते । यह विचारधारा यूरोप, रूस व चीन में उत्पन्न हुई और बीसवीं सदी के प्रारंभ में ब्राह्मण व अन्य आर्यों जिनके पूर्वज और सगे-संबंधी खुद शासक वर्ग और भारतीय जनता के शोषक थे, के द्वारा भारत में फैली। यद्यपि ब्राह्मणवादी ताकतें साम्यवाद को यूरोप से लायी किन्तु उन्होंने धर्म के संबंद्ध में कभी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को नहीं स्वीकारा जिसमें मार्क्स ने कहा कि धर्म जनसाधारण के लिए अफीम है। वो मूलनिवासी बहुजन समाज की ऊर्जा को केवल आकर्षित करना, उन्हें उलझायें रखना, भ्रमित करना और दिशा से भटकने के लिए साम्यवाद का प्रयोग करती हैं, ताकि हम फूले- अंबेडकरी विचारधारा पर आधारित आन्दोलन चलाने में सफल न हो पायें।

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने मार्क्सवादी विचारधारा की सीमाओं का भारतीय परिपेक्ष्य में उपयोगिता के बारे में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखा हैं उन्होंने इस बात को जरूरी नहीं माना कि जो लोग इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिलाया जाए। उनकी जो आलोचना सम्बन्धी बाते हैं वह उनकी पुस्तकों जैसे **'जातिभेद का उच्छेद', 'बुद्धा और कार्लमार्क्स'** और **'भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति'** से जान सकते है। आज तक का हमारा अनुभव यह कहता है कि जो वामपंथी विचारधारा है वह एक समतामूलक समाज के निर्माण में अवरोध के रूप में ब्राह्मणवाद और जाति को मान्य नहीं करता हैं मार्क्सवादी विचारधारा के भारत में जो प्रवक्ता बने हुए हैं वे सब तथाकथित विकासवादी सोच के ब्राह्मण है। वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में ब्राह्मणवादी विचारों को ही अंगीकार करते हैं। वे पश्चिम बंगाल और केरल राज्य में काफी समय से शासन कर रहे हैं। इतने वर्षों के शासन के बाद भी उन राज्यों के मूलनिवासी बहुजनों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनका न तो भौतिक रूप से विकास हुआ है न ही सामाजिक रूप से, इन राज्यों में यदि उत्थान हुआ है तो केवल ब्राह्मणवादी लोगो का ही हुआ है। ये अपने को बहुत ही विकासवादी सोच के बताते हैं जिसके कारण हमारे समाज के गरीब और सीधे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हे। डॉ. राममनोहर लोहिया भी खुद को समाजवादी कहते थे लेकिन वे एक मिथ्या समाजवादी थे। समाजवादी होने का ढोंग करते थें वह कार्ल मार्क्स के अनुयायी नहीं थे। सन् 1935 में कांग्रेस के अंदर एक ऐसा समूह था, जो अपने आपको समाजवादी कहते थे। इस समूह में आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, मीनु मासानी, अशोक मेहता और अच्यूत पटवर्धन जैसे लोग शामिल थे। इन्होंने बाद में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई। ये सभी लोग मार्क्स के अनुयायी नहीं थे पर लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा प्रचारित करते थे। यद्यपि इनका उद्देश्य साम्यवादी नहीं था, लेकिन ये लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते थे कि वे गांधीवादी विचार के लोग हैं। ये सभी ब्राह्मणवाद का अनुसरण कर रहे थे। विकासवादी वामपंथी विचारक भी देश में धार्मिक रूप से धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता के ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार है, जिसे हिंदूत्व का स्वरूप दिया गया। इसका लाभ केवल और केवल ब्राह्मणवादी ताकतों को मिला और इसके कारण अन्य धर्मों के जो मूलनिवासी हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ।

हमारी आज की सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि सामाजिक ध्रुवीकरण किया जाए और वह ब्राह्मणवाद बनाम समानतावादी लोगों का होना चाहिए। व्यवस्था से जो लाभकारी लोग है और जो पीड़ित लोग हैं उनके बीच में होना चाहिए। कुछ समय से ऐसी चर्चा चल रही है कि समाज को अब 'विचारधारा' से आगे सोचने की जरूरत है और आजादी के लिए किसी विचारधारा की जरूरत नहीं है और केवल 'विकास की अवधारणा' ही काफी है, हमें हमारी सभी भौतिक समस्याओं से निजात पाने के लिए, इस तरह की विचारों का प्रचार और प्रसार ब्राह्मणी मीडिया द्वारा तेजी से किया जाता है। 'आम आदमी पार्टी' का उभार भी इन्हीं विचारों के ऊपर हुआ है। इनकी तरह अनेक पार्टियां और संगठन हैं जो अंदर से ब्राह्मणवादी विचारों से चलते हैं लेकिन बड़ी चालाकी से ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। वे बिना किसी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के जाति से पीड़ित जो लोग हैं उनको राहत देने का दिखावा करते हैं। इससे देश की बहुसंख्यक आबादी पीड़ित एवं गरीब बनी रहती है।

एक दूसरा प्रचलन जो उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण के दौर से देखा गया है कि जो पूंजीवादी विचारधारा है उसे ब्राह्मणवाद की विचारधारा के साथ जोड़ कर पेश किया गया और इसके माध्यम से शासक जातियों की आर्थिक और सांस्कृतिक एकाधिकार को मजबूत किया गया। यही वो कारण है कि क्यों गांधी, नेहरू एवं सावरकर हेडगेवार दोनो ही के अनुयायियों को पूंजीवाद के समर्थन में पाते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे पास एकमात्र यही रास्ता बचा है कि हम अपने महापुरूषों की विचारधारा को अपनाये और उसका प्रचार एवं प्रसार करें। हमें उन मूलनिवासी महानायिकाओं की भी कुर्बानियों को याद करना चाहिए, जिन्होंने ने केवल ब्राह्मणवाद से हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि जातिवाद को समाप्त कर समानता की लड़ाई लड़ी। हमारे माहनायकों एवं महानायिकाओं ने जिस प्रकार का संघर्ष हमारे लिए किया उसी के परिणामस्वरूप ही आज हम सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं, हमें हमारे हक-अधिकार हासिल हुए जिसके कारण हम सुखी व सम्पन्न जीवन जी रहे हैं।

आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता फूले ने सामाजिक आंदोलन को प्रारंभ किया था और बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर के काल में यह अपने चरम पर पहुँचा था। बामसेफ के निर्माताओं ने इन दोनों महापुरूषों के विचारों और दृष्टिकोण को ही **फूले अंबेडकरी विचारधारा** कहा। इस विचारधारा में हमारे सभी महानायकों एवं महानायिकाओं के विचारों का समावेश है। **जिनमें तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम, संत चोखामेला, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, अयोथीदास, बिरसा मुण्डा, नारायण गुरू, पेरियार रामासामी, अयंकाली, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहूजी महाराज, अन्नाभाऊ साठे, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, बाबासाहब डॉ. अंबेडकर शामिल हैं।** यद्यपि ये सभी विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों से आते हैं और देश के अलग-अलग क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया, इतिहास के अलग-अलग कालखंडों में इन्होंने कार्य किया। इन सभी के कार्यों में समानता है। सभी ने जातिवाद को खत्म करने एवं ब्राह्मणवाद को जड़मूल उखाड़ने के लिए कार्य किया।

सभी एक समानतावादी समाज की व्यवस्था करना चाहते थे जो कि समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय के सिद्धांतो पर टिका हो। उनका लोकतंत्र एवं अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध पर विश्वास था। ये महान लोग हमारे स्वतंत्रता के रक्षक एवं हमारे आदर्श है। उनके विचार एवं उनके द्वारा समानता के लिए किये गये कार्य पिछले 2000 वर्षों के इतिहास में दर्ज है, इसी से हमें फूले-अंबेडकरी विचारधारा के रूप में एक शक्तिशाली विचारधारा मिली। इसी के कारण हमारा दृष्टिकोण न्यायिक और लोकतांत्रिक समाज के लिए बना।

फूले-अंबेडकरी विचारधारा के महत्व को समझते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी सही दिशा में सोचने वाले लोग जो भी जाति की व्यवस्था से पीड़ित हैं, उन सबको इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। विचारधारा को विकसित करने एवं जिंदा रखने के लिए विचारधारा की निरंतर प्रचार-प्रसार की जरूरत होती है। **19वीं शताब्दी के इटैलियन फिलोसफर मैजिनी ने कहा था कि "आप महान व्यक्ति को तो मार सकते हैं, लेकिन आप उसके महान विचारों को नहीं मार सकते।"** अपने एक भाषण में मैजिनी के इस कथन के संदर्भ में बाबासाहब ने कहा कि, मैजिनी का कथन के संदर्भ में गलत साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि **"आप किसी महान व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके महान विचारों को भी खत्म किया जा सकता है।"** बामसेफ के संस्थापक सदस्य मा. डी. के. खापर्डे साहब हमें याद दिलाते हैं कि बाबासाहब डॉ. अंबेडकर ने हमें विचारधारा का प्रचार और प्रसार निरंतर रूप से करने के लिए कहा है। उन्होंने हमें बताया कि यदि आप किसी पौधे को खाद और पानी नहीं देगें तो वह सूख जायेगा। उसी तरह से किसी विचार को जिंदा रखना है तो उसे निरंतर खाद और पानी की जरूरत होती है। विचारधारा के लिए खाद् और पानी क्या है? विचारधारा का खाद और पानी उसकी प्रचार एवं प्रसार है। इसके लिए उसका निरंतर विकास करना और उसका प्रचार-प्रसार करना जरूरी है। विचारधारा को समाज में निरंतर फैलाते रहना पड़ता हैं। यदि विचारधारा का समाज में निरंतर रूप से प्रचार और प्रसार न किया जाए तो विचारधारा जिंदा नहीं रह सकती और जिसके फलस्वरूप नई सोच एवं विचार के अभाव में समाज विकास नहीं कर सकता है। इसको दूसरे रूप में हम कह सकतें हैं कि यदि हमारा दुश्मन हमसे भी ज्यादा सक्रिय है तो उसकी विचारधारा भी ज्यादा फैलेगी। हम यदि अपनी विचारधारा को समाज में स्थापित करना चाहते है तो हमें दुश्मन से भी तेज सक्रियता से निरंतर विकास व प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा। भारत में बुद्धिज्म के पतन से हम इसको सही ढंग से समझ सकते है। हजारों वर्षे तक इस इतिहास को दबा दिया गया था। पिछले कुछ दशकों में यह विचार पुर्नजीवित हुआ है। बाबासाहब डॉ. अंबेडकर का इसमें उल्लेखनीय योगदान रहा। इसलिए हर एक सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जो विचारधारा हमें हमारे महानायकों एवं महानायिकाओं से मिली है उसका समाज के सभी हिस्सों में और जीवन के सभी क्षेत्रों में हम निरंतर रूप से विकास करें एवं प्रचार और प्रसार करें।

मूलनिवासी संघ का दृष्टिकोण

हमारा दृष्टिकोण हमारे महान महापुरूषों व सामाजिक क्रांतिकारियों तथागत बुद्ध से लेकर राष्ट्रपिता फूले और फिर डॉ. बाबासाहब अंबेडकर, जिन्होंने न केवल एक आदर्श समाज का विचार दिया बल्कि उस दृष्टि को हासिल करने के लिए अथक प्रयास भी किये, उनके दृष्टिकोण द्वारा दिशा-निर्देशित एक आदर्श समाज का निर्माण करना है। हमारे महापुरूषों की इस महान परंपरा को भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। अतः जब हम एक आदर्श समाज के बारे में सोचते हैं तो भारतीय संविधान एक दिशा-निर्देशक दस्तावेज के रूप में होता है।

हमारे स्वपनो का आदर्श समाज एक न्यायपूर्ण समाज है। एक ऐसा समाज जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। हम सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक न्याय की कल्पना करते हैं। हम न केवल सरकार के एक स्वरूप के रूप में बल्कि समाज और इसके हर स्तर पर सभी घटक इकाइयों व संस्थाओं को संगठित करने वाले एक मॉडल के रूप में लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि बिना सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के राजनैतिक लोकतंत्र को बरकरार रखना मुश्किल है। हमारे विचार में प्रत्येक व्यक्ति, जाति, धर्म, लिंग, आस्था, नस्ल, भाषा, जन्म, भौगोलिक क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता को वास्तविक बनाने के समान अवसर मिलने चाहिए।

हम पंथनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं न तो राज्य धर्म में हस्तक्षेप करे और न ही धर्म राज्य को प्रभावित करे। हम विविध, बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक समाज की कल्पना करते हैं। हम मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रेरणा लेते हैं और मानते है कि प्रत्येक मनुष्य को गरिमा व सम्मान के साथ जीवन व मानवाधिकार मिले हैं। हम हर तरह के दमन से मुक्त समाज की कल्पना करते हैं और हर तरह के दमन को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

समस्याओं के समाधान

बहुसंख्यक मूलनिवासी बहुजन गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, हिंसा, आर्थिक बहिष्करण, अत्याचार और ऐसी ही कई अन्य चीजों में फंसे हुए हैं। इन सभी परिस्थितियों में एक कारक ब्राह्मणवाद समान रूपसे विद्यमान है जो कि आमतौर पर पितृसत्ता व जाति व्यवस्था में स्पष्ट होता है। जाति-व्यवस्था Oppressed बहुसंख्यकों को बांटने तथा शर्मनाक ढंग से न्यून अल्पसंख्यकों के शासन को बनाये रखने का एक बुनियादी उपकरण है। इस उपकरण द्वारा ब्राह्मणवादी ताकतो ने खुद के लिए सभी अधिकार व विशेषाधिकार सुनिश्चित कर लिए तथा मूलनिवासी बहुजन समाज में अंदरूनी कलह को बढ़ावा देकर अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। Graded Inequality के सिद्धांत पर आधारित जाति विभाजन के के कारण यह समाज 6000 से ज्यादा जातियों में बिखरा हुआ है। मूलनिवासी बहुजन आपस में लड़ते रहते हैं, वहीं अल्पसंख्यक ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनियों ने सभी संसाधनों व शक्ति के सभी स्थानों पर कब्जा कर लिया है और समृद्ध हो गये हैं, जब कि मूलनिवासी बहुजन गरीब व शक्तिहीन ही रह गये हैं। जाति के साथ पितृसत्ता ब्राह्मणवाद में ही निहित है और महिलाओं की निरंतर अधीनता को सुनिश्चित करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्राह्मणवाद में सभी जातियों की महिलाओं को निम्न दर्जे पर रखा गया है। इसलिए ब्राह्मणवाद के दो सिद्धांत जाति और पितृसत्ता मूलनिवासी स्त्री-पुरूषों के लिए कष्ट और तथाकथित उच्च वर्गियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करती है।

इसलिए हमारी भौतिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान और हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करना होगा। इसलिए हमें ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ना चाहिए हमें उनकी विषमता की विचारधारा को फूले अम्बेडकरवादी समता की विचारधारा के साथ संघर्ष कराना है। ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ने का अभिप्राय फुले अम्बेडकरी विचारधारा को फैलाना है। हालांकि, इस विचारधारा के प्रचार के लिए मूलनिवासी बहुजनों के एक मजबूत व सत्त संगठन की जरूरत होगी, जिसके कैडर सदस्य विचारधारा को समाज में ले जाने के लिए मिशनरी उत्साह के साथ कार्य करें। इसी विचारधारा पर मूलनिवासी संघ की स्थापना गयी है। मूलनिवासी संघ की नीतियां व कार्यक्रम 6743 पीड़ित जातियों जो एससी, एसटी, ओबीसी व धार्मिक अल्पसंख्यकों में विभाजित हैं, को संगठित करके विद्यमान सामाजिक व्यवस्था की पुनःसंरचना के लिए निर्मित की जाती हैं।

विभिन्न कार्यक्रम व आन्दोलन जो समय-समय पर मूलनिवासी बहुजन समाज की भौतिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए हम लाते हैं, इन वैचारिक बुनियादों पर आधारित है। जबकि हम हमारे उद्देश्यों, जो पहले ही 'मूलनिवासी के संघ उद्देश्य' नामक भाग में चर्चा किये जा चुके हैं, को पूरा करने के लिए आंदोलन करके मूलनिवासी जनसामान्य की समस्याओं को तत्कालीन राहत प्रदान करना आवश्यक मानते है। हमारा तीव्र मत है कि जब तक विद्यमान सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, हमारी भौतिक व सामाजिक समस्याओं की स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। मूलनिवासी संघ न केवल मूलनिवासी बहुजनों की समकालीन समस्याओं के समाधन के लिए ही प्रतिबद्ध है बल्कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों के

जीवन को सुरक्षित, मानवीय व भेदभाव मुक्त बनाने के लिए एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए भी प्रयासरत है।

मूलनिवासी बहुजनों की समस्याओं के समाधान के लिये मूलनिवासी संघ का उपागम डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया है- शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। यहाँ शिक्षा का अर्थ पढ़ने लिखने या डिप्लोमा या डिग्री हासिल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ हमारे समाज की संस्कृति व इतिहास तथा हमारे समाज की समस्याओं, उन समस्याओं के पीछे के कारणों को समझने व उन समस्याओं से निपटने में हमारे महापुरूषों एवं महानायिकाओं के योगदान को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। आप देखेंगे कि हमारी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था मे कोई भी व्यक्ति उपयुक्त पहलुओं पर कभी भी शिक्षा हासिल नहीं कर सकता/सकती है क्योंकि व्यवस्था जानबूझकर इस तरह बनाई गयी है। कि ऐसी सूचना लोगों से दूर रखी जाए। हम अपने शत्रुओं से ऐसी शिक्षा दिए जाने की उम्मीद नहीं कर सकते, जो हमें ब्राह्मणवाद के प्रहार को खत्म करने में मदद करे। इसलिए यह जरूरी है कि मूलनिवासी बहुजन समाज को 'शिक्षित करने' के कार्य को हम अपने कंधों पर लें।

मूलनिवासी संघ कैडर शिविरो व Corner Meetings के माध्यम से यह करने का प्रयास करता है, जिनमें हमारे प्रशिक्षित कैडर लोगों से इन मुद्दों पर बात करते हैं और उन्हें शिक्षित करते हैं। कुछ बड़े स्तर पर, इसी उद्देश्य के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ज्वलंत मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए और आन्दोलन के भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन भी वार्षिक रूप से आयोजित किये जाते हैं। मूलनिवासी संघ लोगों को शिक्षित करने तथा उन्हें मूलनिवासी संघ की गतिविधियों के बारे में अद्यतन (Update) रखने के लिए एक सामयिक संवादपत्र (Periodic News Letter) भी निकालता है। जो लोग हमारे समाज के इतिहास, उसकी समस्याओं व उनके कारणों के बारे में शिक्षित एवं परिचित हैं, इस बारे में कुछ करने के लिए प्रेरित हुए हैं। वे बदलाव लाने के प्रेरित हैं और ऐसा करने के अवसरों के लिए देख रहे हैं।

मूलनिवासी संघ Critical Mass बनाने के लिए एक साथ आने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो कि हमारा ऐच्छिक बदलाव लाने के लिए आवश्यक है। लोगों को संगठन में लाने के लिए कैडर कैंप, मूलनिवासी मेला व राष्ट्रीय अधिवेशन जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। लोकतंत्र में असली ताकत संख्या में निहित होती है और इसीलिए Unity होना आवश्यक है। संख्यात्मक रूप से मूलनिवासी लोग बहुसंख्यक (भारत की कुल जनसंख्या का 85 प्रतिशत बहुजन) हैं। किन्तु यह संख्यात्मक बहुमत जाति का उन्मूलन करके और ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़कर सामाजिक व राजनीतिक बहुमत में बदले जाने की जरूरत है।

मूलनिवासी संघ उन सभी लोगों द्वारा ही संचालित होता है, जो यह बदलाव लाना चाहते हैं और स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व व न्याय पर आधारित एक समाज बनाना चाहते हैं, को संगठित करने के उद्देश्य में लगा है। शिक्षित प्रतिबद्ध व प्रेरित लोगों के एक संगठन के रूप में, मूलनिवासी संघ आंतरिक लोकतंत्र को

सर्वोच्च महत्व का है और जिन मूल्यों को यह संघ समाज में लाना चाहता हैं संगठन का प्रत्येक व्यक्ति सदस्य (Individual Member) संगठन में समान महत्व देता है और कोई भी संगठन से ऊपर नहीं है। मूलनिवासी संघ की संरचना व कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक है और ऐसे संगठन ही एक दीर्घकालीन शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति लाने वाले हो सकते हैं।

यह संगठन अपने आप में एक साध्य नहीं है, यह बदलाव लाने का साधन मात्र है। यह बदलाव केवल आन्दोलन, संघर्ष के द्वारा आ सकता है। यहाँ आन्दोलन (Agitation) से अभिप्राय केवल सड़कों पर आना और अन्याय के खिलाफ चिल्लाना भर नहीं है बल्कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता व न्याय के महत्व की निरंतर जागरुकता द्वारा चिंतन-प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए आवश्यक कठिन तैयारी व उन्नत गृहकार्य भी शामील हैं समस्याओं के समाधान के प्रयास में मूलनिवासी संघ समस्याओं की एक स्पष्ट समझ तैयार करने, उनके पीछे के कारकों पर काम करने और सर्वोत्तम संभव समाधान निकालने के लिए उत्तरदायी है। राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलनों में समस्याओं, मुद्दों पर विमर्श होता है और उनके समाधान के लिए सुपरिभाषित रणनीतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें विभिन्न स्तरों पर ले जाया जाता है।

बामसेफ से भिन्न, मूलनिवासी संघ कुछ बाध्यताओं से मुक्त है, और इसीलिए यह शांतिपूर्ण तरीकों से तथा कानूनी ढांचे के अन्दर और उपलब्ध संवैधानिक साधनों द्वारा आन्दोलन करने तथा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं ये आन्दोलन मूलनिवासी बहुजनों के खिलाफ किये जाने वाले अत्याचारों व दुर्व्यवहारों का विरोध करने और हमारे मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किये जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण उपागम विधायिका के रुप में कार्य करना है। दबाव की राजनीति द्वारा मूलनिवासी संघ चुनावी राजनीति को भी प्रभावित करेगा, यद्यपि हम प्रत्यक्ष रुपसे राजनीति में शामिल नहीं हैं। सारांशतः हम मूलनिवासी संघ में आदर्श समाज, जैसा संविधान में बताया गया है, के हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के इरादे से काम करते हैं।

मूलनिवासी संघ की संरचना एवं कार्य प्रणाली

मूलनिवासी संघ एक कैडर आधारित संगठन है। मूलनिवासी संघ राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। संगठन के लिए एक कार्यकर्ता का महत्व उसी तरह से है जिस तरह से शरीर के लिए एक कोशिका का होता है। प्रत्येक कार्यकर्ता में नेतृत्व के गुण हैं, और संगठन के उत्थान एवं पतन के लिए वे ही उत्तरदायी है। सभी कार्यकर्ताओं के विचार, भाषण और कार्यवाही में एकरूपता है। सभी नेताओं का पहले कार्यकर्ता होना आवश्यक है और अपने पद कार्यकाल के समाप्त होने पर वे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते है। अतः कार्यकर्ता-आधारित संगठन का अर्थ एक ऐसे संगठन से है जो बहुसंख्य प्रतिबद्ध और योग्य कार्यकर्ताओं के कंधों पर, उन्हीं के द्वारा लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचित नेता के नेतृत्व में है। इस वृहद जिम्मेदारी हेतु हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए, हमने सभी स्तरों पर प्रशिक्षण और निरिक्षण की विस्तृत व्यवस्था का निर्माण किया है। प्रशिक्षण के अलावा, प्रत्येक कार्यकर्ता को, संगठन की विकास प्रक्रिया में निर्धारित एक निश्चित अनुशासन में रहना होता है।

राष्ट्रीय आम सभा (National General Body)

संगठन का सर्वोच्च मंच राष्ट्रीय आम सभा (National General Body) है। जिसकी बैठक साल में एक बार होती है। जरुरत पड़ने पर दो बार भी बुलाई जा सकती है। सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पदाधिकारी और सभी जिलों के मनोनीत सदस्यों (अपनी सदस्यता के समानुपात में) का इस आम सभा में प्रतिनिधित्व होता है। आम सभा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति तथा संगठन के सही ढंग से संचालन के लिए सभी (संबंधित) नीतियों, नियमों को स्थापित करना, उन्हें ठीक करना या संशोधित करने का कार्य करती है।

कार्यकारिणी समिति

अपने सभी निर्णयों को लागू करने के लिए, राष्ट्रीय आम सभा देशभर के अनुभवी कार्यकर्ताओं में से एक 21 सदस्यीय **राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (CEC)** को निर्वाचित करती है। सीईसी अपने सदस्यों में से राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों को चुनते हैं। इन पदाधिकारियों में, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव, कार्यालय सचिव इत्यादी आते हैं। सीईसी की बैठक हर तीसरे महिने में होती है, और सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। राष्ट्रीय आमसभा के निर्णयों का, सीईसी क्रियान्वयन और उसके लिए संसाधन सुनिश्चित करती है। सीईसी का कार्यकाल 02 वित्तीय वर्षों के लिए होता है। कार्यकाल खत्म होने पर राष्ट्रीय आम सभा एक नई सीईसी को निर्वाचित करती है जो कि पुनः नये पदाधिकारियों को निर्वाचित करती है। सीईसी किसी राज्य विशेष के लिए सीईसी प्रभारी भी नियुक्त करती है।

सीईसी सदस्य सह प्रभारी, बामसेफ के राज्य अध्यक्ष और राज्य के बामसेफ सीईसी सदस्य सह प्रभारी के साथ परामर्श करके एक **राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC)** नियुक्त करते हैं जो सीईसी की तरह ही कार्य करती है। एसईसी का क्षेत्राधिकार पूरा राज्य है और इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

एसईसी, राज्य के सीईसी सदस्य (राज्य) प्रभारी से परामर्श करके **जिला कार्यकारिणी समितियों (DEC)** की नियुक्ति करते हैं। यही प्रक्रिया तहसील एवं ब्लॉक स्तर की ग्राम और वार्ड स्तर की अन्य इकाईयों को बनाने में अनुसरित की जाती है, ये सभी इकाइयों एक वर्ष के लिए नियुक्त की जाती हैं।

निर्णय प्रक्रिया

CEC संगठन को सुचारु रूप से चलने के लिए सर्वोच्च इकाई है। संगठन का एजेंडा आम सभा द्वारा और आमसभा के दिशा-निर्देशन में CEC की बैठक बुलाने के लिए एक माह पूर्व एजेंडा के साथ सुचना देना होता है। CEC के सदस्य उस एजेंडे पर सुझाव देते है तत्पश्चात समुचित रूप से निर्णय बनाया जाता है। सीईसी पूरे साल के लिए कार्यक्रम व योजना बनाती है। CEC के निर्णय का प्रत्येक सदस्य के बंधनकारी होता है। इस निर्णय को अमल में लेन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकरिणी समिति CEC, राज्य कार्यकारिणी समिति SEC, और जिला कार्यकारिणी समिति DEC की होती है। यह एजेंडा और कार्ययोजना का राज्य, जिला व प्रखंड / तहसील इकाईयों द्वारा अनुसरित किया जाता है। इस विस्तृत एजेंडा और कार्ययोजना में प्रतिदिन के हिसाब से और अधिक विस्तृत कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए तथा उसके क्रियान्वयन के लिए कार्यकर्ताओं की रचनात्मक ऊर्जा प्रयोग की जाती है। ग्राम और वार्ड इकाई संगठन का आधार हैं और प्रतिदिन के आधार पर लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। चूंकि मूलनिवासी संघ एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, इसकी उपस्थिति अखिल भारतीय (Pan India) स्तर पर है। यह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, जिनका दीर्घकालीन महत्व है, पर केन्द्रित होती है।

अनुशासन और पूर्ण संचार व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संपूर्ण संगठन राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम/वार्ड स्तर तक संगठन के उद्देश्यों और विचारधारा से संबद्ध है। मूलनिवासी संघ की कार्यप्रणाली / कार्यशैली मूलनिवासी बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित करना, उन्हें संगठित करना और एक न्यायपूर्ण व लोकतंत्रिक समाज के संघर्ष के लिए उन्हें तैयार करना है। ग्रामीण भारत में गांवों और छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग तथा शहरी भारत की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हमारे लिए मुख्यतः प्रासंगिक हैं, इन लोगों ने जाति-व्यवस्था के प्रहारों को सर्वाधिक सहा है।

हमारे कार्यक्रम

मूलनिवासी संघ के विज़न, मिशन, उद्देश्यों व विचारधारा की श्रृंखला में मूलनिवासी संघ विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ये कार्यक्रम मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं

1. कैडर कैंप / जागृति शिविर
2. फील्ड वर्क & कार्नर मीटिंग
3. राष्ट्रीय अधिवेशन
4. जिला एवं राज्य सम्मेलन
5. मूलनिवासी मेला

6. विशेष कैंपेन अभियान
7. BS4 अभियान (भारतीय संविधान का सम्मान सुरक्षा और संवर्धन)
8. मूलनिवासी महापुरुषों की जयंती कार्यक्रम

कैडर कैंप सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह एकदिवसीय या दो दिवसीय देशभर में आयोजित किये जाते हैं। मूलनिवासी संघ ने अपने आरम्भ से ही ये कार्यक्रम अपने मातृ संगठन बामसेफ से ग्रहण किये हैं। इन कैडर कैम्पों में मूलनिवासी संघ के प्रशिक्षित कैडर नये कैडर और लोगों को सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक-इतिहास, फूले अम्बेडकरी आन्दोलन की विचारधारा व उद्देश्य, संगठन की संरचना व कार्यप्रणाली, मूलनिवासी बहुजनों की तत्कालीन समस्याओं आदि के बारे में जागरुक करते हैं। नवागंतुकों के लिए 3-4 घंटे के छोटे कैंप/जागृति शिबिर किये जाते हैं, जो मूलनिवासी बहुजनों की तत्कालीन समस्याओं पर केन्द्रित होते हैं। कैडर कैम्पों व सम्मेलनों, अभियानों के बीच में मूलनिवासी संघ के कैडर विचारधारा के प्रसार के लिए और मूलनिवासी बहुजनों की समस्याओं को समझने के लिए घर-घर जाकर बैठक करते हैं और मूलनिवासी लोगों से जुड़ते हैं। इस तरह का जनसम्पर्क मूलनिवासी संघ कैडर और मूलनिवासी समाज के बीच महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करने में मदद करता है।

जिला एवं राज्य सम्मेलन, जिला एवं स्तर पर मूलनिवासी संघ के सभी कैडर, पदाधिकारियों व समर्थकों के लिए हर वर्ष आयोजित किया जाता है। जिसमें सामाजिक व संगठनात्मक महत्व के समकालीन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कैडर कैम्पों के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन मूलनिवासी संघ का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां राष्ट्रीय स्तरीय संगठन को अमल में होता हुआ देखा जा सकता है। यहां हम SC, ST, OBC व धर्म परिवर्तित मूलनिवासी अल्पसंख्यक समूहों के सभी लोगों को बिना एक दूसरे कि जाति जाने बल्कि मूलनिवासी के रुप में एक साथ रहते, कार्य करते हुए देखा जा सकता है। अतः यहां एक जातिविहीन समाज की रचना की उम्मीद होती है।

विशेष कैंपेन या कार्यक्रम सामान्यतः दो उद्देश्यों के लिए पुरे भारत में एक ही दिन आयोजित किये जाते हैं। ये उद्देश्य हैं प्रथम, किसी ज्वलंत मुद्दे पर समाज का प्रबोधन करने के लिए और दूसरा, मूलनिवासी बहुजनों की समस्याओं पर प्रकाश डालने और उनके समाधान के लिए आन्दोलन करने के लिए मूलनिवासी मेला राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले (11 अप्रैल) और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर (14 अप्रैल) की जयंती फू के अवसर पर हर साल 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाता है। यह समारोह, हमारे समाज के कई अन्य संगठनों द्वारा आयोजित ऐसे ही कई कार्यक्रमों से भिन्न है। यहां हम, लोगों को मूलनिवासी पहचान, मूलनिवासी संस्कृति और फुले-अम्बेडकरी विचारधारा के बारे में जागरूक करने के लिए सामाजिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करते है, मूलनिवासी सांस्कृतिक प्रदर्शनी लगाते हैं और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सभी षडयंत्रों, बाधाओं व कठिनाईयों के बावजूद मूलनिवासी संघ यह कार्यक्रम निरंतर आयोजित कर रहा है और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए एवं शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति लाने के लिए मूलनिवासी बहुजन समाज को तैयार कर रहा है।

आपको मूलनिवासी संघ से क्यों जुड़ना चाहिए ?

मूलनिवासी बहुजनों की जिंदगियां ब्राह्मणवाद व इसके उत्पादों जातियां और पितृसत्ता के कारण समस्याओं से भरी हुई है। आदर्श रूप में, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों से संविधान को लागू करने और लोगों की समस्याओं के समाधान की आशा की जाती है। किंतु यह देखा गया है कि सरकारों ने ब्राह्मणवाद का विरोध करने और इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि भारत में शासक वर्ग शासक जातियों से सम्बद्ध हैं। शासक वर्गों के हित ब्राह्मणवाद को संरक्षित करने में है न कि इसको नष्ट करने में संपूर्ण विश्व में भारत एक अनोखा देश है, जहां (लोकतांत्रिक, गणतंत्र) राष्ट्र के शासक इसके बहुसंख्यक नागरिकों के खिलाफ कार्य करते है।

यदि सरकारे इन समस्याओं का समाधान करने के प्रति गंभीर नहीं है तो इनका समाधान कौन करेगा और पीड़ित लोगों के क्या कर्तव्य होंगे? स्वभावतः, कोई भी जिम्मेदार वह चिंतन से व्यक्ति जिसके दिल में अपने भाईयों प्रति सहानुभूति हो, विषमता पर आधारित इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए सभी संभव संसाधनों व शक्ति का प्रयोग करेंगा। ऐसा हमारे महापुरुषों व महानायिकाओं ने किया। उन्होंने दासता के प्रतिरोध के उत्कृष्ट उदाहरण दिये है, और सामाजिक उत्तरदायित्व की एक भावना पैदा कि है, और इसी सबसे हम उस स्थिती में पहुंचे है। जहां हममें से बहुत से लोग, मुख्यतः जो पढने और समझने लायक है, कुछ मूलभूत अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। Great Mind व Compassionate मानव जैसे प्राचीन काल में तथागत गौतम बुद्ध, अनेकों संत, गुरु जैसे मध्यकाल में रविदास, तुकाराम, चोखामेला व कबीर और सामाजिक क्रांन्तिकारी जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फ , ले, सावित्रीबाई फूले अयोथी दास, बिरसा मुंडा, पेरियार रामासामी, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, अयंकाली और अन्य बाबासाहेब अम्बेडकर जो आज के उच्च शिक्षित व पेशेवर युवाओं के महान प्रेरणास्रोत हैं। वह कोलंबिया विश्वविद्यालय और लन्दन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एंड पोलिटिकल साइंस के भूतपूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने इकोनोमिक्स में दो डोक्टोरल डिग्रियां हासिल की। अर्थव्यवस्था के प्रति रूचि होने के बावजूद इसमें अपने उज्जवल भविष्य को छोड़कर लन्दन के Grays Inn से वकालत करने तथा अपने Fellow Brethren की मुक्ति के लिए कार्य करने का निर्णय किया। अधिकांश अधिकार व संवैधानिक सुरक्षा उपायों जों भारतीय संविधान में दिये गये हैं, सब बाबासाहेब अम्बेडकर के अथक व जुनूनी प्रयासों का नतीजा हैं। अतः महानायिकाओं व महापुरुषों से हमने क्या सबक सीखा ? एक सामान्य बात जो इन महान सामाजिक क्रांतिकारियों में देखी गयी है, यह है कि उन्होंने अपने बौद्धिक व वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम संभव प्रयोग मुक्ति आन्दोलन के लिए करके हमारे लिए एक मिसाल छोड़ी है। हालांकि, जो मिशन उन्होंने शुरू किया, अभी तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था अभी भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें कमजोर बनाती है। इसीलिए, जाति-व्यवस्था खत्म करने, ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ने और स्वतंत्रता, समता, बंधुता व न्याय पर आधारित एक आदर्श, न्यायपूर्ण व लोकतांत्रिक समाज की रचना करने की तत्काल जरूरत है।

प्रिय मूलनिवासी बहनों और भाइयों, आप इस वंचित मूलनिवासी बहुजन बहुत ही अमूल्य सम्पत्ति है और उच्च साधन-संपन्न हैं। आप पूर्व के महान समाज के नेताओं और क्रांतिकारियों के बलिदानों से लाभान्वित हुए हैं और अब 'Pay Back To Society' की आपकी बारी है। आप में से बहुत से लोग Concerned हैं और हमारे Fellow Brethren की प्रगति और सफलता के बारे में सोचते हैं। हालांकि, अलग-अलग (अलगाव) सोचने से कोई परिणाम नहीं निकलता है क्योंकि उससे बड़े स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अलगाव में कार्य करने से बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमे कोई Teamwork और संगठित प्रयास नहीं होते हैं। स्थानीय स्तर पर Teamwork का लघुकालीन लाभ होता है क्योंकि यह समाज में संरचात्मक बदलाव नहीं लाता है और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली शक्तिशाली शत्रु विचारधारा पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। इसीलिए, सामाजिक व्यवस्था में एक निर्णायक और स्थायी बदलाव सुनिश्चित करने के लिए मूलनिवासी संघसे जुडकर राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक आन्दोलन का भाग बनना होगा और हमारे मूलनिवासी बहुजन समाज की जिंदगियों में एक सत्त बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य करना होगा। हम आग्रहपूर्वक आशा करते हैं कि आप सामाजिक रूप से जुड़ने के बारे में जुनून और समाज का ऋण चुकाने की मानसिकता के साथ सोचेंगे और हमारे भविष्य तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बौद्धिक और वित्तिय स्वरूप में आपके योगदान और सक्रिय भागीदारी की सराहना करते है।

प्राथमिक सदस्यता

मूलनिवासी संघ भारतीय समाज को बदलने और मूलनिवासी बहुजन समाज को ब्राह्मणवादी दासता से मुक्त करने के मिशन पर है। यह बदलाव 'आपके' बिना संभव नहीं होगा। मूलनिवासी संघ का सदस्य बनकर, आप स्थानीय व राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। आपको मूलनिवासी संघ अच्छे से हमारे कार्यक्रमों, अभियानों, और आप कैसे शामिल हो सकते हैं आदि के बारे में नियमित व लगातार जानकारी भी मिलेगी। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर उस बदलाव का उदाहरण बन गये हैं जिसकी कल्पना उन्होंने मूलनिवासी बहुजन समाज के लिए की थी। क्या उस पथ चलने के लिए आप तैयार हैं? यदि हाँ, तो मूलनिवासी संघ के निकटतम प्रतिनिधि से मिलें और अपनी व्यक्तिगत जानकारियां और सम्पर्क करने सम्बन्धी जानकारियां दें। आप वार्षिक 10 रूपये का भुगतान कर सदस्यता ले सकते है।

कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन नहीं

राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एवं डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, और कई अन्य मूलनिवासी सामाजिक परिवर्तकों ने अपना सम्पूर्ण जीवन, ज्ञान, समय धन आदि तथा सैकड़ों अन्य बलिदान हमें ब्राह्मणवादी गुलामी से मुक्त कराने के लिए समर्पण कर दिया ताकि हम सम्माननीय मानव की तरह जी सकें। उन्होंने योग्यता होने के बावजूद संसाधनों का कोई संचयन नहीं किया, वस्तुतः हमारे लिए उन्हें आर्थिक रूप से ग्रसित होना पड़ा। हमें उनके मिशनरी कार्यों से लाभ मिल रहा है। और हम उनके प्रति तथा उनके जैसा नेता पैदा करने और समर्थन करने वाले समाज के प्रति और उनके सामाजिक आन्दोलन के ऋणी हैं।

उनके कार्यों ने शिक्षित व कमाने वाले लोगों का एक बड़ा तबका तैयार किया है, जो सामाजिक आन्दोलन के लिए कुछ संसाधन समय व प्रतिभा दे सकें। मूलनिवासी समाज के इस Beneficiary वर्ग को अब जगाने की जरूरत है और स्वतंत्र भारत में अपने Brethrens को दासता व अमानवीय जीवन से मुक्त कराने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। हमें उस समाज का कर्ज चुकाना है जिसने हमारी जिन्दगी को बेहतर बनाने में अपने संसाधन लगाये हैं। क्या आप वो कर्ज चुकाने को तैयार हैं? एक न्यायपूर्ण समाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आन्दोलन को समर्थक करना तथा वित्तीय रूप से सहयोग करना एक माध्यम है। आपको समझना है कि आझादी, सम्मान मुफ्त में नहीं मिलता है। हमें अपने सम्मान के लिए समय-समय पर उसकी कीमत (कई बार जान देकर) चुकानी पड़ती है। कुछ धन खर्च करना पड़ता है। कुछ लोगों को काम करना पड़ता है, उन्हे अपना मेहनताना खर्च करना पड़ता है। हमें उन सभी को प्रकाशित करने तथा जागरूकता के लिए) कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है। इन के सभी गतविधियों के लिए धन की जरूरत होती है, और जितना अधिक धन हमारे पास होगा, इस सामाजिक आन्दोलन को बेहतर तरीके से हम संगठित कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी वित्तीय ताकत बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम अपने भाई-बहनों को मुक्त कराने के हमारे लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम आपको आश्वस्त करके है कि आपका धन सुरक्षित हाथों में होगा। मूलनिवासी संघ ईमानदार व प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का एक संगठन है। यहां सभी निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा लिए जाते हैं। कोई भी सदस्य अपनी व्यक्तिगत इच्छा से न तो यह धन संचित कर सकता है और न ही खर्च कर सकता है। फण्ड संग्रह करने और उसके खर्च पर नजर रखने की व्यवस्था की गयी है। हमारे संगठन में पारदर्शी हिसाब-किताब और वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था है। आपके अमूल्य वित्तीय योगदान का प्रयोग बहुत ही बुद्धिमानी, मितव्ययता, विवेक से किया जायेगा।

समाज के ऋण चुकाने के आपके निर्णय की हम सराहना करते हैं। मूलनिवसी संघ के फण्ड में वित्तीय सहयोग के लिए आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। यह एक संगठनात्मक विकास फंड (ODF) के रूप में जाएगा, जो कि संगठनात्मक अधिरचना निर्माण लिए और सामाजिक आन्दोलन के नियमित संचालन के लिए प्रयोग की जाएगी।

दान करने के लिए तीन विकल्प हैं:-
1. मासिक
2. अर्द्धवार्षिक
3. वार्षिक

(अ) निश्चित अवधि का दान या जीवनपर्यंत दान की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या ईमेल करें
(ब) संगठनात्मक विकास फंड के लिए एक बार में दान अवश्य करें
(स) नकद या वस्तु के रूप में किसी कार्यक्रम या परियोजना विशेष दान"

संचार पत्ता:

Mulnivasi Sangh

BAMCEF Bhavan, H.NO.527A,
Nehru Kutiya, Kabir Basti, Malkaganj, New Delhi, India
PIN - 110007, Phone Number: 011-2385469

Bank Transfer/NEFT: Through Direct Transfer to our Bank Account

Make your bank transfers (Online/NEFT) to following account:
Bank Hoder Name – **Mulnivasi Sangh**
Bank Account No.: **2848101019250**
IFSC Code: **CNRB0002848**
Bank Name – **CANARA BANK, Hansraj College Branch, New Delhi.**

While making transfer, please write in the purpose box, "Other" and Then in remarks "ODF" by<yourName>and<City/District>"

जय भीम जय मूलनिवासी जय संविधान जय भारत